कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, <u>ईमेल-sspvns-up@nic.in</u>,

Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 59/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

थाना लंका पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान टन प्रतिबन्धित थाई 15मछली मांगुर की बीज (कीमत लगभग रुपये लाख 20) सहित 03 अभियुक्तगण रेशम सिंह, दीपपत्रो व सपन गिरफ्तार।

पुलिस उप महानिरीक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी भेलूपुर वाराणसी के कुशल निर्देशन में दिनांक 12-01-2021 को प्रभारी निरीक्षक लंका महेश पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में डाफी टोल प्लाजा पर मौजूद थे, इसी दौरान वाहन संख्या एच0आर0-67 सी-1007 में प्रतिबन्धित थाई मांगुर के लगभग ग्राम तक के 150 ग्राम से 100 प्रतिबन्धित मत्स्य बीज लगभग टन 15भरकर ले जा रहे 03 अभियुक्तो रेशम सिंह, दीपपत्रों व सपन को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदशुदाटन थाई मांगुर के बीज क 15 ा विनिष्टिकरण किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लंका पुलिस द्वारा मु34 0सं0अ0/21 धारा 188/269/270 भा0िव0द0, महामारी अधिनियम धारा-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा ,3-5/8, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम धारा-3/63 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

(ड्राईवर) रेशम सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह निवासी पेन्डल लोआल थाना वेहरवाल जनपद तरमताल पंजाब .1

- 2. दीपपत्रों पुत्र जयदेव पत्रों निवासी बसीरहाटपरगना कोलकता 24 जनपद उत्तर,
- 3. सपन पुत्र केनानाम दास निवासी बसीरहाटपरगना कोलकता 24 जनपद उत्तर,

बरामदगी का विवरण-

🕨 लाख रुपया 20 टन प्रतिबन्धित थाई मांगुर की बीज कीमत लगभग 15।

गिरफ्तार करने वाली टीम

🕨 प्रश्री महेश पाण्डेय 0िन0,उ0िन0 जय प्रकाश सिंह व का अम्बुज राय 0थाना लंका वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 60/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

दिनांक 12-01-2021 को प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 30नि0 अजय कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बजरडीहा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में तेलियाना चौराहा बजरडिहा पर मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति चेरियन गर्ल्स हास्टल चौराहे के दाहिनी तरफ खड़े है, जिनके पास काफी मात्रा में अवैध गाँजा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर 30नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के चेरियन गर्ल्स हास्टल चौराहे के पास पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर चौराहे के किनारे दाहिनी ओर खड़े दोनो व्यक्तियों को एक बारगी दिबश देकर पकड़ लिया गया, जिनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 04 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण विनोद प्रजापित व प्रमोद गिरी को समय करीब 23.बजे 05 गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- (1) विनोद प्रजापित पुत्र स्व जगन्नाथ प्रजापित 0िनवासी एन-12/बजरिडहा थाना भे 45लूपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 45।
- (2) प्रमोद गिरि पुत्र स्व सीताराम गिरि 0निवासी लठिया सहिजनी थाना जमालपुर, जिला मिर्जापुर उम्र करीब वर्ष 52।

बरामदगी का विवरण-

04 किलो 5ग्राम 00 नाजायज गांजा।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर-अमित कुमार मिश्रा, उअजय कुमार वर्मा चौकी प्रभारी बजरडीहा 0नि0, हे0का0 अखिलेश यादव, हे0का0- राजू राम, हे0का0 योगेन्द्र यादव, का0 रिवन्द्र सिंह व का0 विपिन पासवान थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 61/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 13.01.2021 को थाना कपसेठी में पंजीकृत मु0अ0सं0-90/13 धारा-363/366/376/506 भादिव व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजू उर्फ राजेश पुत्र राजेन्द्र निवासी चकलोला थाना कपसेठी वाराणसी को मानिटिरंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पाक्सो-1 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं रु0-29,000/-(उन्तीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्या:पीआरओ 62/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 13.01.2021 को थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-41/1996 धारा-147/323/325/308/427/504/506 भादिव व 3(1) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) अशोक कुमार पुत्र फूलचन्द्र, (2) माया पुत्र रामलाल, (3) मोतीलाल पुत्र जयश्री व (4) राजनाथ पुत्र अन्तू कुर्मी निवासीगण ग्राम मानापुर पिण्डरा थाना फूलपुर वाराणसी को मानिटिरंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अशोक कुमार उपरोक्त व मोतीलाल उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व रु0-4700/-(चार हजार सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं माया उपरोक्त व राजनाथ उपरोक्त को 01 वर्ष के कारवास व रू0 3600/-(तीन हजार छ:सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 63/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 13.01.2021 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0011/2021 धारा 302/120बी/201 भादिव से सम्बन्धित अभियुक्तगण सद्दाम पुत्र अशरफ अली निवासी त्रिपोलिया थाना रामनगर वाराणसी उम्र 22 वर्ष व नीरज कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी परशुराम थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 26 वर्ष एवं मु0अ0सं0 0016/2021 धारा 3/25 आम्स्र्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र शिव पासवान निवासी तारनपुर थाना मुगलसराय चंदौली को दुर्गा मन्दिर के पास थानाक्षेत्र रामनगर से समय करीब 14.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आटोरिक्शा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1. सद्दाम पुत्र अशरफ अली निवासी त्रिपोलिया थाना रामनगर वाराणसी उम्र 22 वर्ष
- 2. नीरज कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी परशुराम थाना अलीनगर जनपद चंदौली उम्र 26 वर्ष
- 3. संजय कुमार पुत्र शिव पासवान निवासी तारनपुर थाना मुगलसराय चंदौली

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1. थाना प्रभारी व0उ0नि0 विजय कुमार यादव रामनगर, वाराणसी।
- 2. उ0िन0 विनोद कुमार मिश्र थाना रामनगर वाराणसी।
- 3. उ0नि0 आशीष मिश्र-थाना रामनगर, जनपद वाराणसी।
- 4. उ0िन0 अभिनव श्रीवास्तव-थाना रामनगर, जनपद वाराणसी।
- 5. हे0का0 प्रहलाद यादव-थाना रामनगर, जनपद- वाराणसी।
- 6. हे0का0 ब्रम्हदेव-थाना रामनगर, जनपद वाराणसी।
- 7. का0 सिद्धार्थ कुमार रजक थाना रामनगर, जनपद वाराणसी।
- 8. का0 अजय कुमार यादव थाना रामनगर,जनपद वाराणसी।
- 9.का0 आलोक वर्मा थाना रामनगर जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 64/2021

दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

दिनांक 13.01.2021 को विरष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानूनशान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों / पर पंजीकृतचोरी/लूट/नकबजनी के मुकदमों में वांछित सिक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

- 1. सुरेन्द्र कुमार यादव उर्फ मूसे पुत्र स्व0 पन्नालाल निवासी बी-34/167 बी सुन्दरपुर सट्टी थाना लंका वाराणसी उम्र-26 वर्ष— अपराध)चोरी/लूट(
- 2. सुरेन्द्र पटेल पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी भरलाई उसरपुरवा थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 25 वर्ष -) अपराधनकबजनी/चोरी(
- 3. शिशिर उर्फ गोबिन्द उर्फ चुलबुल पुत्र विजय यादव निवासी सरवनपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र-21 वर्ष अपराध लूट)/वाहन चोरी/टॉप-10(

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 65/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 13.01.2021 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व कुल 21 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया व बिना मास्क धारण किये *कुल 297 व्यक्तियों से रु0-7500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 921 वाहनों का चालान, 08 वाहनों को सीज तथा 148 वाहनों से रु0-1,31,400/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

> प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-

policevaranasi

संख्याः पीआरओ 66/2021 दिनांक: जनवरी, 13/2021

प्रेस नोट

विश्व पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *"मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.01.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजिनक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियों/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरुकता अभियान चलाते हुए 192 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5179 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1240 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 167 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1631 महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 204 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।